

फर्द अहकाम

बनाम 01/02/2013

सीतावन

नाम न्यायालय नवमहाकैरुवा

केस संख्या 68/2014

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
		<p>जमावदी के अधिकार हिस्सेनुसार कुरैजात रिपोर्ट मध्य नब्धा तीन-तीन प्रतिशत के निगवान सुनिश्चित करे। इस बाबत तहसीलपाल रामपुरा-डाबगी को तहरीर जारी है। पञ्जवली वास्ते कुरैजात रिपोर्ट हेतु डिमांड 24 1/2 के पेशा हो</p> <p style="text-align: center;">B.M./ सहायक कलक्टर आमेर जयपुर</p>
24 1/2	24 1/2	<p>पञ्जवली प्रस्तुत/वे.फे.उप। वंतजात कुरैजात रिपोर्ट हेतु डिमांड 9 1/2 के पेशा हो। पुनर्विद्य प्रविषगी-1 की कोर्ट से प्रॉपर्टी "वाड विद्या न करे बाबत प्रॉपर्टी पेशा है।</p> <p style="text-align: center;">B.M./ सहायक कलक्टर आमेर जयपुर</p>
	9 5/2015	<p>पञ्जवली प्रस्तुत/वाडी व उनके अधिकारिता उपस्थित प्रतिवादी संख्या -1 नाथूराम सैन स्वयं उपस्थित वाडी द्वारा वादपत्र उपपत्र के महत्व रानीकात हो जाने के कारण विद्या प्रॉपर्टी पेशा किया गया पूर्व आदेश डिमांड 24 1/2 को प्रतिवादी-1 द्वारा वादपत्र विद्या न करे बाबत प्रॉपर्टी पेशा किया था कि प्रतिवादी-1 स्वयं उपस्थित है तथा दोनो ने मिलकर प्रॉपर्टी विद्या पेश किया है प्रतिवादी-1 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रॉपर्टी Infructuous हो चुका है। पुनिक्रम अतः वाडी द्वारा</p>

रुकी (जाती)
389
23/11/2015


Identifiable Name
8102
सीतावन नवमहाकैरुवा
(वाडी)

नाथूराम सैन
(प्रजवा)

क अ कार्यव

फर्द अहकाम

बनाम : शाहूल्लाख
 श्रीलाल
 माल्य मूम कार्कैर छ. जयपुर

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>6/8/2024</p>	<p>वाफपत्र उक्तपत्र के मध्य रजिनामा हो जाने के कारण विद्वा किया गया। वाडी की विधिगत पहचान स्वीधक्ता वाडी द्वारा की गई। हस्ताक्षर करवाये गये।</p> <p>झतः वाफ, वाडी विद्वा किये जाने के कारण निस्तारित किया जाता है। प्रकरण की पत्रवली फैसल सुनाए होकर वाकिफ दफ्तार हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कमलक्टर आमेर मूजयपुर </p>	